पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–120/2014 रे0वाद
अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.

उनवान प्रकरण

1. यज्ञदत्त पिता बालकृष्ण शर्मा (ब्राह्मण) निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. संतोष देवी पत्नि बालकृष्ण शर्मा (ब्राह्मण) निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. चेतना पुत्री बालकृष्ण शर्मा (ब्राह्मण) निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये पावर अटॉर्नी होल्डर यज्ञदत्त पिता बालकृष्ण शर्मा (ब्राह्मण) निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अमरचंद पिता पृथ्वीराज स्वर्णकार निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के कायम मुकामान प्रतिवादीगण प्रस्थापित :–

1/1. नरेश पिता अमरचंद स्वर्णकार, निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2. कन्हैयालाल पिता अमरचंद स्वर्णकार, निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/3. सोनिया पुत्री अमरचंद स्वर्णकार, निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/4. गीता पत्नि अमरचंद स्वर्णकार, निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. गोपाललाल पिता मदनलाल व्यास, निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. कमल कुमार पिता नारायण प्रसाद माटोलिया (ब्राह्मण) निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. अनुसुया पत्नि रामप्रकाश माटोलिया(ब्राह्मण) निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रतिवादीगण

दिनांक :–14.07.2017

–:निर्णय :–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम मेलोनीखेड़ा तहसील सहाडा स्थित आराजी नंबर 3338/2820 रकबा 1.50 हैक्टयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज होकर वादीगण के नाम 17377 वर्गगज एवं अमरचंद पिता पृथ्वीराज स्वर्णकार के नाम 222.22 वर्गगज भूमि दर्ज रेकार्ड है एवं प्रतिवादी गोपाललाल पिता मदनलाल व्यास के नाम 1/150 हिस्सा , कमल कुमार पिता नारायण प्रसाद के नाम 1/150 हिस्सा अनुसुया पत्नि रामप्रकाश माटोलिया के नाम 1/50 हिस्सा दर्ज है। अमरचंद का 2/150 वां हिस्सा बनता है वादीगण के नाम दर्ज 17377.78 वर्गगज का 145/150 हिस्सा बनता है जबकि बिना किसी आधार के वादीगण के नाम वर्गफिट में भूमि अंकित कर दी गई है मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार बैठे हुए हैं जबकि वादीगण का हिस्सा दर्ज नहीं होने से वादीगण भूमि विक्रय करने संपरिवर्तन कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं जिससे न्यायहित में वादीगण के नाम 145/150 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या एक अमरचंद के नाम 2/150 हिस्से का

वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण उपस्थित वादीगण संख्या एक द्वारा एक शपथ–पत्र पेश किया जिसमें अपने वाद–पत्र के तथ्य दौराये एवं दावा डिक्री किये जाने बाबत् इस्तदुआ की वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं मनन किया गया। उपरोक्त प्रस्तुत रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम मेलोनीखेड़ा तहसील सहाडा स्थित आराजी नंबर 3338/2820 रकबा 1.50 हैक्टयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक लगायत चार के संयुक्त खाते में दर्ज होकर वादीगण एक लगायत तीन के (17377.78 वर्ग गज) प्रतिवादी संख्या एक अमरचंद के (222.22 वर्ग गज) हिस्सा 147/150 एवं प्रतिवादी संख्या दो से लगायत चार के प्रत्येक के 1/150 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त रेकार्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक अमरचंद के संयुक्त में 147/150 हिस्सा दस्तावेज से प्रमाणित होता है साथ ही उक्त हिस्से की भूमिया (17377.78 वर्ग गज) वादीगण व (222.22 वर्ग गज) प्रतिवादी संख्या एक के वर्ग गज में लिखी गई एवं दोनों का संयुक्त हिस्सा 147/150 हिस्सा बनता है ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं ग्राम मेलोनीखेड़ा तहसील सहाडा स्थित आराजी नंबर 3338/2820 रकबा 1.50 हैक्टयर भूमि में वादीगण का हिस्सा 145/150 एवं प्रतिवादी संख्या एक का 2/150 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किये जाने आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)